न्यायालय श्री उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

पीठासीन अधिकारीः–श्री रतनलाल रेगर आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्याः–311/2019

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
पुनमचन्द पुत्र श्री छोगाराम जाति ब्राह्मण निवासी बापिणी तहसील बापिणी, जिला जोधपुर।		भूमिधारी श्रीमान् तहसीलदार बापिणी

प्रार्थी की ओर से :– अधिवक्ता श्री राजेश खीचड़ उपस्थित।

अप्रार्थी की ओर से :– सरकारी पैरोकार।

–::निर्णय::–

दिनांकः– 21-10-19

प्रार्थी द्वारा एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है किः– मुझ प्रार्थी व अन्य खातेदारान की संयुक्त खातेदारी भूमि खेत खसरा नम्बर 827 रकबा 16 बीघा 01 बिस्वा, खसरा नम्बर 1012 रकबा 60 बीघा 17 बिस्वा ग्राम बापिणी, खसरा नम्बर 83 रकबा 38 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 114 रकबा 22 बीघा 03 बिस्वा मौजा ग्राम बापिणी खुर्द, खसरा नम्बर 282 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 303 रकबा 19 बीघा ग्राम भादा, तहसील बापिणी में आई हुई हैं। मेरी उक्त खातेदारी भूमि के राजस्व रेकर्ड में राजस्व कर्मचारियों की भूलवंश मेरा नाम पुनाराम पुत्र छोगाराम दर्ज कर दिया गया जो गलत हैं। मेरा वास्तविक नाम पुनमचन्द पुत्र श्री छोगाराम हैं तथा मेरे परिवार कार्ड, आधार कार्ड भामाशाह कार्ड इत्यादि में मेरा नाम पुनमचन्द दर्ज हैं तथा ग्राम बापिणी खुर्द की [illegible] नम्बर 541, 586, 1142/541 व बापिणी के खसरा [illegible] रेकर्ड में भी मेरा नाम पुनमचन्द पुत्र छोगाराम दर्ज है। राजस्व कर्मचारियों की भूल से मेरा नाम पुनाराम गलत दर्ज कर दिया गया हैं, जिसको मैं अब उपरोक्त दस्तावेजों के आधार पर शुद्धि करवाना चाहता हूँ। जो इन दस्तावेजों से

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 10:40:12 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार, ओसियां

Scanned by CamScanner

बखूबी पूनमचन्द प्रमाणित होता हैं। राजस्व रेकर्ड में नाम अशुद्ध होने के कारण राजस्व रेकर्ड व मेरे अन्य दस्तावेजों में एकरूपता नहीं होने से मुझे परेशानी का सामना करना पड़ा है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा नम्बर खसरा नम्बर 827 रकबा 16 बीघा 01 बिस्वा, खसरा नम्बर 1012 रकबा 60 बीघा 17 बिस्वा ग्राम बापिणी, खसरा नम्बर 83 रकबा 38 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 114 रकबा 22 बीघा 03 बिस्वा मौजा ग्राम बापिणी खुर्द, खसरा नम्बर 282 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 303 रकबा 19 बीघा ग्राम भादा, तहसील बापिणी में प्रार्थी का नाम पुनाराम पुत्र छोगाराम दर्ज है जो गलत है उसके स्थान पर सही नाम पुनमचन्द पुत्र छोगाराम दर्ज किया जाकर रेकर्ड दुरस्ती किये जाने का आदेश सादिर फरमावें। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करवाया जावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये नोटिस अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमें "प्रार्थी व अन्य खातेदारों की संयुक्त भूमि ग्राम बापिणी के खसरा नम्बर 827 रकबा 16.01 बीघा व खसरा नम्बर 1012 रकबा 60.17 बीघा ग्राम बापिणी खुर्द के खसरा नम्बर 83 रकबा 38 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 114 रकबा 22 बीघा 03 बिस्वा, ग्राम भादा के खसरा नम्बर 282 रकबा 03 बीघा 04 बिस्वा, खसरा नम्बर 303 रकबा 19 बीघा, ग्राम बापिणी खुर्द के खसरा नम्बर 541, 586, 1142/541 व बापिणी के खसरा नम्बर 994/1 में पुनाराम व पूनमचन्द के नाम जमाबंदी में दर्ज है। खसरा नम्बर 827, 1012, 83, 114, 282, 303 की खातेदारी संयुक्त भूमि में पूनाराम पि. छोगाराम जाति ब्राह्मण दर्ज है जबकि खसरा नम्बर 994/1, 541, 586, 1142/541 में पूनमचन्द पि० छोगाराम के नाम दर्ज है। अतः पूना[illegible]गह पूनमचन्द पि. छोगाराम के नाम राजस्व रेक[illegible]अधिनियम के तहत शुद्धि किय जाना उचित है।" अप्रार्थी का ज[illegible] प्रार्थना पत्र रेकर्ड पर लिया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 10:40:12 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

यह है कि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई, बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

—::आदेश::—

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 827 रकबा 16 बीघा 01 बिस्वा, खसरा नम्बर 1012 रकबा 60 बीघा 17 बिस्वा ग्राम बापिणी, खसरा नम्बर 83 रकबा 38 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 114 रकबा 22 बीघा 03 बिस्वा मौजा ग्राम बापिणी खुर्द, खसरा नम्बर 282 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 303 रकबा 19 बीघा ग्राम भादा, तहसील बापिणी में प्रार्थी का नाम पुनाराम पुत्र छोगाराम के स्थान पर सही नाम पुनमचन्द पुत्र छोगाराम दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। पालना हेतु तहसीलदार बापिणी को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी, ओसियां
सहायक कलेक्टर, ओसियां

आज दिनांक 21-10-19 को खुला न्यायालय में आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 10:40:12 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner